डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्डाधिकारी राजाखेडा
अज इजलास :– श्री देवी सिंह (आर.ए.एस.)
व मु0 उनवान :–

1. शकुन्तला पुत्री लज्जाराम जाति राजपूत निवासी वार्ड नं0 07 राजाखेडा

——— वादीया

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र लज्जाराम जाति राजपूत निवासी धारापुरा तहसील राजाखेडा
2. गुलबिया पत्नी नामालुम जाति राजपूत निवासी ग्राम धारापुरा तहसील राजाखेडा
3. महेन्द्रसिंह
4. कुबेरसिंह
5. सोवरनसिंह
6. मुकेश

   पुत्रगण खुशीलाल जाति राजपूत निवासीगण ग्राम धारापुरा तहसील राजाखेडा
7. रामभरोसी पुत्र मनरूप जाति राजपूत निवासी ग्राम धारापुरा तहसील राजाखेडा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा
9. राजेन्द्रसिंह
10. जगवीर सिंह
11. प्रमोद सिंह

    पुत्रगण रामभरोसी
12. रिमला विधवा स्व. कम्मोदसिंह

    जातिगण राजपूत निवासीगण धारापुरा तहसील राजाखेडा

——— प्रतिवादीगण

दावाः– स्वत्व घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज बंटवांरा काश्त मय स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनाक :– 12.12.2022

मु0 नम्बर 61 /22

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू मुझ देवी सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा एवं उपस्थिति श्री विमल शर्मा अभिभाषक वादीगण एवं श्री ए0 के0 जैन अभिभाषक प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादिया विवादित आराजी खसरा नं0 865 रकवा 4–06 विस्वा, 939 रकवा 02–02 विस्वा, 949 रकवा 01–04 विस्वा, स्थित ग्राम खुडिला की 1/12 भाग तथा खसरा नं0 1180 रकवा 02–17 विस्वा, स्थित ग्राम जारह 1/3 तथा खसरा नं0 1203 रकवा 02–08 विस्वा, स्थित ग्राम जारह के 1/12 भाग की तथा खसरा नम्बर 1176 रकवा 02–02 विस्वा, 1181 रकवा 01–08 विस्वा, स्थित ग्राम जारह के 1/9 की खातेदार काश्तकार है। खुडिला ग्राम की आराजी में गुलविया के नाम 1/9 हिस्सा दर्ज है। वह विधि विरूद्व है। अतः राजस्व रिकार्ड में इस अंकन के बने रहने का कोई कानूनी आधार नहीं है अतः गुलविया का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। सम्पूर्ण आराजी में बादिया का हिस्सा लगभग 02 बीघा 03 विस्वा, बनता है। चूँकि रामप्यारी द्वारा अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की आराजी में खुडिला की आराजी तथा जारह के खसरा नम्बर 1180, 1176, 1181 का अपना हिस्सा प्रतिवादी नं0 07 व 9 लगायत 12 के पक्ष में किया गया है। अतः इनके हिस्से तक रामप्यारी के स्थान पर प्रतिवादी नं0 7 व 9 लगायत 12 का नाम अंकित किया जावें। तथा पृथक हिस्सा कायम करें। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा दौराने वाद एवं स्थगन आदेश के बाबजूद प्रतिवादी नं0 7 के पक्ष में दिनांक 11.03.98

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा

को जो बयनामा किया गया है वो विधि विरूद्व होने के कारण प्रभावहीन तथा शून्य करार दिया जाता है। तहसीदार राजाखेडा को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

व शब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के आज दिनांक 12.12.2022 को जारी की गई।

(देवी सिंह)
उपखण्डाधिकारी
राजाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा